प्रेषक,

नोडल अधिकारी वेबपोर्टल मुजफ्फरनगर/
हाईड्रोलांजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–सहारनपुर।

सेवामें,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी),
नई दिल्ली में योजितO.A.No.277/2022
Liyakat Ali &Ors Vs State of Uttar Pradesh.

पत्रांकः: 334 /भू0ज0वि0खसहा0/मा0रा0हरि0अधि0(NGT)/ दिनांक 20, अक्टूबर, 2022

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में योजितO.A.No.277/2022 Liyakat Ali &Ors Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक–21.07.2022 के अनुपालन के संबंध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में योजित याचिका के संबंध में निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–1297/भू0ज0वि0/एस–26(एन0जी0टी0) दिनांक–19–10–2022 के अनुपालन में संबंधित संस्थाओं 1– मै0 श्री भागेश्वरी पेपर प्रा0लिमि0(यूनिट–1), 2– मै0 श्री भागेश्वरी पेपर प्रा0लिमि0(यूनिट–2), 3– मैं0 गैलेक्सी पेपर प्रा0लिमि0 एवं 4– मै0 गर्ग डूप्लेक्स पेपर प्रा0लिमि0 के संबंध में वॉछित सूचना निम्नवत् है।

उपरोक्त बिन्दु–1 व बिन्दु 2, संस्थाओं के द्वारा अनंतिम अनापत्ति प्रमाण–पत्र के सापेक्ष निर्धारित भूगर्भ जल निष्कर्षण शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, जिस कारण इन संस्थाओं को वैध अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया जा सका हैं। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि फर्म द्वारा निदेशक, भूगर्भ जल विभाग/सदस्य सचिव, राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन एवं विनियामक प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ को पत्र सं0 शून्य दिनांक 18–08–2022 को संस्था द्वारा उद्योग के भूजल निष्कर्षण में परिवर्तन हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है। इस क्रम में उल्लेखनीय है कि उद्योग के भूजल निष्कर्षण में परिवर्तन हेतु पत्रावली अनुमोदन हेतु मा0 उ0प्र0 शासन के समक्ष गतिमान है। भूजल निष्कर्षण में परिवर्तन के अनुमोदन के पश्चात् वेबपोर्टल के माध्यम से प्रश्नगत परिवर्तन की कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी। इसके पश्चात संस्था द्वारा अनंतिम अनापत्ति प्रमाण–पत्र के सापेक्ष निर्धारित भूगर्भ जल निष्कर्षण शुल्क का भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात् ही संस्था को वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकेगा।

बिन्दु–3 व बिन्दु 4 के सापेक्ष संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

नोडल अधिकारी, वेबपोर्टल, मुजफ्फरनगर/
हाईड्रोलांजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग,
खण्ड–सहारनपुर।

पत्रांकः /भू0ज0वि0खसहा0/मा0रा0हरि0अधि0(NGT)/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1– सदस्य सचिव/निदेशक (भूगर्भ जल विभाग), राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन एवं विनियामक प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
2– जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, मुजफ्फरनगर।
3– मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव,जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, मुजफ्फरनगर।
4– अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–सहारनपुर।

नोडल अधिकारी,वेबपोर्टल मुजफ्फरनगर/
हाईड्रोलांजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग,
खण्ड–सहारनपुर।

(Office) 0522-22
Fax : (Office) 0522-22
E-mail : upgwd.in@gmai
Website : http://upgwd.

कोर्ट केस/एन0जी0टी0/महत्वपू
ई-मेल के माध्यम

कार्यालय निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0,
नवाँ तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग,
लखनऊ।

संख्या- 1297/भू0ज0वि0/एस-26(एन0जी0टी0) दिनांक/लखनऊ/अक्टूबर 19 2022

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में योजित O.A. No. 277/2022 Liyakat Ali & Ors Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 21.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

नोडल अधिकारी, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, मुजफ्फरनगर।

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-323/भू0ज0वि0खसहा0/मा0रा0हरि0अधि0(NGT), दिनांक 13.10.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में योजित O.A. No. 277/2022 Liyakat Ali & Ors Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 21.07.2022 के अनुपालन में विभागीय मंतब्य/पैरावाईस नरेटिव/शपथ पत्र विभाग की ओर से किये जाने हेतु दिशा निर्देश चाहा गया है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में प्रख्यापित भूगर्भ जल (प्रबन्धन एवं विनियमन) अधिनियम-2019 के अन्तर्गत वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों (यथा कूपों के पंजीकरण/अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत/नवीनीकरण आदि) का निस्तारण एवं भूगर्भ जल (प्रबन्धन एवं विनियमन) अधिनियम-2019 में निहित प्राविधानों का अनुश्रवण/क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में "जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्" का गठन किया गया है। जनपद स्तर पर भूजल निष्कर्षण हेतु प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के आवेदनों/प्रत्यावेदनों, शिकायतों आदि का निस्तारण टास्क फोर्स कमेटी द्वारा दी गयी जॉच आख्या के आधार पर जनपदीय परिषद के माध्यम से किया जाता है।

उपरोक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि विषयांकित वाद में दिनांक 21.07.2022 को आदेश पारित करते हुए दिनांक 21-10-2022 की तिथि सुनवाई हेतु नियत की गयी है तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति अथवा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से विषयांकित वाद में नियत किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में योजित O.A. No. 277/2022 Liyakat Ali & Ors Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 21.07.2022 के प्रस्तर-8 के अनुपालन करते हुए जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर से समन्वय स्थापित कर विस्तृत आख्या समिति के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करायें।

(वी०के० उपाध्याय)
निदेशक।

संख्या- /भू0ज0वि0,तादिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली।
2- जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, जनपद-मुजफ्फरनगर।

(वी०के० उपाध्याय)
निदेशक।